संख्याः 16 / 2021/ 796 / 17-1002(099)/ 3/ 2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत महिला वर्ग हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मात्र केन्द्रांश रू0 2440.1762 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-277/नि0शा0/,2021-22/16-19(6)दिनांक 14 जून,2021 एवं संशोधन प्रस्ताव दिनांक 01.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य (पुरूष एवं महिला) मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (रू0 2731.00 लाख एवं रू0 2591.57 लाख) कुल रू0 5322.57 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख (पुनर्वैध धनराशि) के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या -17 में महिला वर्ग हेतु प्राविधानित बजट रू0 7759.75 लाख में से धनराशि रू0 4066.957 लाख (केन्द्रांश रू0 2440.1762 लाख+राज्यांश रू0 1626.7808 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत सामान्य (पुरूष एवं महिला) मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (रू0 2731.00 लाख एवं रू0 2591.57 लाख) कुल रू0 5322.57 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रू0 4539.31 लाख को भारत सरकार के पत्रांक जे/18001/1/2017/ एफ0वाई0(ई-4611) दिनांक 04.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। उक्त पुनर्वैध धनराशि में से सामान्य महिला वर्ग हेतु रू0 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) के केन्द्रांश की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 में सामान्य (महिला) वर्ग हेतु रू0 7759.75 लाख की बजट धनराशि प्राविधानित की गयी है। अतः प्राविधानित बजट धनराशि में से पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 2440.1762 लाख (रू0 चौबीस करोड चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 17 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के036+रा024+म0.ला0-40,के.+रा.)	इकाई (हे0/सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			अवमुक्त अवशेष पुनर्वेध केन्द्रांश / धनराशि के सापेक्ष निर्गत निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि		अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	12	25.00	300.00	108.00	72.00	120.00	108.00	108.00	निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या - 277/नि0शा0/ 2021-22/ 16-19(6) दि0 14 जून,2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट/ संलग्नकों के अनुसार।
2	नये रियरिंग तालाबों का निर्माण	51	7.00	357.00	128.52	85.68	142.80	128.4016	128.4016	
3	नये तालाबों का निर्माण	240.376	7.00	1682.63	605.75	403.83	673.05	605.1200	605.1200	
4	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	10	8.00	80.00	28.80	19.20	32.00	8.6766	8.6766	
5	खारे पानी में तालाबों में निवेश	10	6.00	60.00	21.60	14.40	24.00	21.60	21.60	
6	वृहद आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	97	50.00	4850.00	1746.00	1164.0	1940.00	453.60	453.60	
7	मीठे जल में बायोफ्लाक तालाबों का निर्माण	157	14.00	2198.00	791.28	527.52	879.20	791.28	791.28	
8	मध्यमाकार आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	30	25.00	750.00	270.00	180.00	300.00	46.80	46.80	
9	लघु आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	28	7.50	210.00	75.60	50.40	84.00	24.84	24.84	
10	बैकयार्ड लघु आर0ए0 एस0 का निर्माण	2	0.50	1.00	0.36	0.24	0.40	0.07	0.07	
11	इनसुलेटेड वाहन	4	20.00	80.00	28.80	19.20	32.00	7.20	7.20	
12	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	2	0.75	1.50	0.54	0.36	0.60	0.108	0.108	
13	साइकिल विद आइस बाक्स	9	0.10	0.90	0.32	0.22	0.36	0.04	0.04	
14	जीवित मत्स्य विक्रय केन्द्र	16	20.00	320.00	115.20	76.80	128.00	115.20	115.20	
15	लघु मिलों की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन/दिन)	46	30.00	1380.00	496.80	331.20	552.00	110.16	110.16	
16	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	10	10.00	100.00	36.00	24.00	40.00	11.52	11.52	
17	मत्स्य रोग निदान हेतु मोबाइल लैब/ क्लीनिक	1	35.00	35.00	12.60	8.40	14.00	7.56	7.56	
	कुल योग							2440.1762	2440.1762	

(रू0 चौबीस करोड चालीस लाख सत्रह हजार छः सौ बीस मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1/375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा पुनर्वेध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(4) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन /संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(8) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(12) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(14) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पी0एम0 एम0 एस0वाई0) (के036/रा024/महिला लाभार्थी-40 के0+रा0),20-सहायता अनुदान–सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- ई-490/ दस-2021-22 दिनांक 23 जुलाई ,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या- 16 / 2021/ 796(1) / 17-1002(099)/ 3/ 2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।